

भारत के  
नियन्त्रक – महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन

राजस्व सेक्टर

31 मार्च 2013 को समाप्त वर्ष

हरियाणा सरकार  
वर्ष 2014 का प्रतिवेदन संख्या 1

## विषय सूची

|  | संदर्भ   |                       |
|--|----------|-----------------------|
|  | अनुच्छेद | पृष्ठ /<br>टिप्पणियां |
| <b>प्राककथन</b>  |          | v                     |
| <b>ओवरव्यू</b>   |          | vii-x                 |
| <b>अध्याय – 1</b>  |          |                       |
| <b>सामान्य</b>   |          |                       |
| राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति  | 1.1      | 1                     |
| बजट अनुमानों एवं वास्तविकों के मध्य विभिन्नताएं  | 1.2      | 4                     |
| मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संग्रहण की लागत  | 1.3      | 5                     |
| कुल बकायों तथा पांच वर्षों से अधिक बकायों के संबंध में राजस्व के बकायों का विश्लेषण          | 1.4      | 6                     |
| संग्रहण का विश्लेषण  | 1.5      | 8                     |
| कर का अपवंचन   | 1.6      | 9                     |
| रिफंड मामलों की लंबनता   | 1.7      | 9                     |
| लेखापरीक्षा के प्रति सरकारी विभागों का उत्तर   | 1.8      | 10                    |
| उत्तरदायित्व पर बल देने तथा राज्य सरकार के हित की रक्षा करने में वरिष्ठ अधिकारियों की विफलता | 1.8.1    | 10                    |
| विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें  | 1.8.2    | 11                    |
| अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण  | 1.8.3    | 12                    |
| प्रारूप लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर विभागों के उत्तर   | 1.8.4    | 13                    |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्तन - संक्षेपित स्थिति                                       | 1.8.5    | 13                    |
| पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन  | 1.8.6    | 14                    |
| लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों से निपटने के लिए यंत्रावली का विश्लेषण                     | 1.9      | 14                    |
| निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति   | 1.9.1    | 15                    |
| लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में चिह्नित किए गए मामलों पर विभाग / सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन       | 1.9.2    | 16                    |
| स्वीकृत मामलों की वसूली  | 1.9.2.1  | 16                    |

|  | संदर्भ   |                       |
|--|----------|-----------------------|
|  | अनुच्छेद | पृष्ठ /<br>टिप्पणियां |
| विभाग / सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों पर की गई कार्रवाई                       | 1.9.2.2  | 17                    |
| लेखापरीक्षा आयोजना   | 1.10     | 17                    |
| लेखापरीक्षा के परिणाम  | 1.11     | 18                    |
| वर्ष के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति                              | 1.11.1   | 18                    |
| इस प्रतिवेदन के बारे में   | 1.11.2   | 18                    |
| <b>अध्याय – 2</b>  |          |                       |
| <b>बिक्रियों, व्यापार पर कर / वैट</b>  |          |                       |
| कर प्रबंध  | 2.1.1    | 19                    |
| लेखापरीक्षा के परिणाम  | 2.1.2    | 19                    |
| “रिमांड और रिविजन मामलों के निपटान में विलंब” पर<br>निष्पादन लेखापरीक्षा       | 2.2      | 21                    |
| कर की गलत दरों के प्रयोग के कारण कर का अवनिधारण                                | 2.3      | 32                    |
| बिक्रियों/क्रयों के छिपाने के कारण कर का अपवंचन                                | 2.4      | 34                    |
| ब्याज का अनुद्ग्रहण/कम उद्ग्रहण  | 2.5      | 37                    |
| <b>अध्याय – 3</b>  |          |                       |
| <b>राज्य उत्पाद शुल्क</b>  |          |                       |
| कर प्रबंध  | 3.1.1    | 39                    |
| लेखापरीक्षा के परिणाम  | 3.1.2    | 39                    |
| लाईसेंसधारकों से लाईसेंस फीस की अवसूली/कम वसूली                                | 3.2      | 40                    |
| शराब के तिमाही कोटे से कम कोटा उठाने के लिए जुर्माने का<br>अनुद्ग्रहण / अवसूली | 3.3      | 43                    |
| अवैध शराब के स्वामित्व एवं व्यापार के लिए शास्ति का<br>अनुद्ग्रहण / अवसूली     | 3.4      | 43                    |
| <b>अध्याय – 4</b>  |          |                       |
| <b>स्टाम्प शुल्क</b>   |          |                       |
| कर प्रबंध  | 4.1.1    | 45                    |
| लेखापरीक्षा के परिणाम  | 4.1.2    | 45                    |
| विकास करारों पर स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का उद्ग्रहण<br>एवं संग्रहण       | 4.2      | 47                    |

|  | संदर्भ   |                       |
|--|----------|-----------------------|
|  | अनुच्छेद | पृष्ठ /<br>टिप्पणियां |
| अचल सम्पत्ति की गलत दरों के अनुप्रयोग के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण | 4.3      | 48                    |
| अचल संपत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का कम उद्ग्रहण            | 4.4      | 49                    |
| दस्तावेजों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क का अपवंचन                 | 4.5      | 50                    |
| अचल सम्पत्ति के अव-मूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क का अपवंचन               | 4.6      | 50                    |
| स्टाम्प शुल्क में कटौती के माध्यम से अदेय लाभ                              | 4.7      | 51                    |
| स्टाम्प शुल्क की अनियमित छूट   | 4.8      | 51                    |
| <b>अध्याय – 5</b>  |          |                       |
| <b>वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर</b>                                     |          |                       |
| कर प्रबंध  | 5.1.1    | 53                    |
| यात्री एवं माल कर  | 5.1.1.1  | 53                    |
| वाहनों पर कर   | 5.1.1.2  | 53                    |
| लेखापरीक्षा के परिणाम  | 5.1.2    | 54                    |
| “मोटर वाहनों पर करों से प्राप्तियों” पर निष्पादन लेखापरीक्षा               | 5.2      | 55                    |
| सहकारी परिवहन समितियों से यात्री कर की अवसूली/कम वसूली                     | 5.3      | 67                    |
| <b>अध्याय – 6</b>  |          |                       |
| <b>अन्य कर तथा कर – भिन्न प्राप्तियां</b>                                  |          |                       |
| लेखापरीक्षा के परिणाम  | 6.1.1    | 69                    |
| भू-राजस्व के बकायों के रूप में घोषित देयों की वसूली                        | 6.2      | 70                    |
| <b>रवदान एवं भू-विज्ञान विभाग</b>  |          |                       |
| रायलटी तथा ब्याज की अवसूली/कम वसूली  | 6.3      | 72                    |

**परिशिष्ट**

| अनुलग्नक | विवरण  | संदर्भ   |          |
|----------|--|----------|----------|
|          |  | अनुच्छेद | अनुच्छेद |
| I        | अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/ जिनके 30 सितम्बर 2013 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए | 1.8.5    | 75       |
| II       | लोक लेखा समिति की बकाया सिफारिशों के विवरण जिन पर अभी सरकार ने अन्तिम निर्णय लेना है   | 1.8.5    | 76       |
| III      | 31 मार्च 2013 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण   | 1.9.1    | 77       |
| IV       | वर्ष 2003-04 से 2011-12 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल समीक्षाओं तथा सिफारिशों के विवरण  | 1.9.2.2  | 78       |
| V        | वर्ष 2012 - 13 की लेखापरीक्षा योजना  | 1.10     | 79       |
| VI       | ऐसे मामले, जिनमें फर्स्ट नोटिस भी जारी नहीं किया गया था  | 6.2.7    | 80       |
| VII      | ऐसे मामले, जिनमें नोटिस जारी किए गए किंतु दिए नहीं गए  | 6.2.7    | 80       |
| VIII     | ऐसे मामले, जिनमें चूककर्त्ताओं को नोटिस दिए गए थे किंतु राशि वसूल करने के लिए आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी                               | 6.2.7    | 80       |
| शब्दावली |  | 81-82    |          |